आज्ञा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही हस्ताक्षर सहित	क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ ...
31/1/2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। अपीलान्ट श्री कृष्णराम, रमेश गुर्जर पुत्रगण रामेश्वर, शांति, धूमा, बदामी, विमलादेवी पुत्रियां रामेश्वर, भोलाराम पुत्र स्वर्गीय दडका पुत्री रामेश्वर जाति गर्जन निवासीगण टीलावाली, तहसील खेतडी, जिला झूंझनूं ने पिता रामेश्वर पुत्र रिछपालराम के नाम भूतपूर्व सैनिक के नाते चक 13 एसडी के मुरब्बा नम्बर 10/41, 10/49 में कुल 17–14 बीघा भूमि आवंटन की गयी थी। पिता रामेश्वर की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि वारिसों के नाम आवंटन करने हेतु अपील के मार्फत अनुतोष चाहा है। अपीलार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष के संबंध में आवंटन अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर ने अपने पत्रांक 1959 दिनांक 26–7–2023 से अवगत करवाया है कि रामेश्वर के वारिसों को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 10–12–2019 की पालना में दिनांक 20–10–2020 को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में भूतपूर्व सैनिक श्री रामेश्वर की मृत्यु उपरान्त उनके वारिसों के नाम से आवंटन बहाल कर उपनिवेशन तहसील, मोहनगढ–1 के चक 13 एसडी के मु0नं0 10/41, 10/49 में कुल रकबा 17–14 बीघा भूमि का पात्रता अनुसार आवंटन किया जा चुका हैं तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में अपीलार्थीगण द्वारा प्रकरण में चाहे गये अनुतोष के क्रम में आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा सरकार की अधिसूचनां दिनांक 10–12–2019 के प्रावधानानुसार प्रकरण में भूतपूर्व सैनिक श्री रामेश्वर के वारिसों के नाम दिनांक 20–10–2020 को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में आवंटन किया जा चुका है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने के आधार पर निरस्त की जाती है। निर्णय आज दिनांक 31–01–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ कार्यालय को प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो व बाद तामिल व तकमील दाखिल दफ्तर हो। (डॉ. प्रदीप के. गावंडे) आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर	निर्णय प्रति अति. आयुक्त उप नि. बीकानेर को जरिये पत्रांक 30/2/24 जारी की गई।